

ऑन लाईन नं. RCMS2023/96

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं० 48/2023

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री काहनचंद पुत्र श्री गुरदास चंद -खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक-
मै० पवन स्वीट्स, नजदीक बस स्टैण्ड, अग्रवाल सभा, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय

दिनांक : 29.05.2023

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री हंसराज गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश क्रमांक:-एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश क्रमांक:- आयुक्ता०/खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंगन है।

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.01.2023 को बाद दोपहर 4.00 बजे का मै० पवन स्वीट्स, नजदीक बस स्टैण्ड, अग्रवाल सभा, पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचा। मौके पर विक्रेता काहनचंद पुत्र श्री गुरदास चंद को अपना परिचय देकर दुकान पर रखे पेड़ा (मावा मिठाई) के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान में रखे एक स्टील की ट्रे में लगभग 5 किलोग्राम पेड़ा (मावा मिठाई) को आमजन के विक्रय वास्ते होना बताया। पेड़ा (मावा मिठाई) में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते पेड़ा (मावा मिठाई) का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंगन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्तक्षर करने को कहा जिसे काहनचंद पुत्र श्री गुरदास चंद एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक काहनचंद पुत्र श्री गुरदास चंद को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5 ए मूल सलंगन न्यायनिर्णयन आवेदन है।

हरीतिमा
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर



आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध पेड़ा (मावा मिठाई) 2 किलोग्राम विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त कश्चुदा पेड़ा (मावा मिठाई) का नगद भुगतान 600/- रुपये किया तथा केशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर हैं और मेरे भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंगन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा पेड़ा (मावा मिठाई) 2 किलोग्राम को बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर लिया। 4 बोतलों पर लैबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड व क्रमांक के-1627 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप के-1627 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे काहनचंद पुत्र श्री गुरदास चंद एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंगन न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :-:L.S./57/Act/2023/53 Dated 27-01-2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1627 Sub-Standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त काहनचंद पुत्र श्री गुरदास चंद मै0 पवन स्वीट्स, नजदीक बस स्टैण्ड, अग्रवाल सभा, पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर पेड़ा (मावा मिठाई) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 04.05.2023 को प्रस्तुत किया गया।

डी.ओ. श्रीगंगानगर
अति.जिला कलेक्टर (प्रशासन)



परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि:- अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी के नाम से पवन स्वीट्स, नजदीक बस स्टेण्ड अग्रवाल सभा, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। प्रार्थी को उक्त नोटिस के द्वारा यह अवगत करवाया गया है कि दिनांक 13.01.2023 को दोपहर 4.00 बजे प्रार्थी की दुकान पर आम जनता को पेड़ा (मावा मिठाई) विक्रय हेतु बताया तथा दुकान के अन्दर रखे गये 5 किलो मावा बाद जांच सब स्टैण्डर्ड फुड का पाये जाने का आरोप लगाया गया है। प्रार्थी का इस सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा बाजार से दूध खरीद करके पेड़ा (मावा मिठाई) बनाया था। बाजार से दूध खरीदने के कारण दूध में फैट कम पाया गया था इस कारण मावा सब स्टैण्डर्ड फुड का पाया गया है जिसमें प्रार्थी का कोई दोष नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अर्ज है कि प्रार्थी के विरुद्ध की गयी उक्त नोटिस कार्यवाही को समाप्त की जाकर प्रार्थी को राहत पहुंचायी जावें।
परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया पेड़ा (मावा मिठाई) का सैम्पल K-1627 जांच रिपोर्ट क्रमांक :-:L.S./57/Act/2023/53 Dated 27-01-2023 द्वारा Sub-Standard Food होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के नाम से पवन स्वीट्स, नजदीक बस स्टेण्ड अग्रवाल सभा, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। प्रार्थी को उक्त नोटिस के द्वारा यह अवगत करवाया गया है कि दिनांक 13.01.2023 को दोपहर 4.00 बजे प्रार्थी की दुकान पर आम जनता को पेड़ा (मावा मिठाई) विक्रय हेतु बताया तथा दुकान के अन्दर रखे गये 5 किलो मावा बाद जांच सब स्टैण्डर्ड फुड का पाये जाने का आरोप लगाया गया है। प्रार्थी का इस सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा बाजार से दूध खरीद करके पेड़ा (मावा मिठाई) बनाया था। बाजार से दूध खरीदने के कारण दूध में फैट कम पाया गया था इस कारण मावा सब स्टैण्डर्ड फुड का पाया गया है जिसमें प्रार्थी का कोई दोष नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अर्ज है कि प्रार्थी के विरुद्ध की गयी उक्त नोटिस कार्यवाही को समाप्त की जाकर प्रार्थी को राहत पहुंचायी जावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Peda (Mawa Sweets)" bearing Code No and Sr. No. K-1627, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-Standard Food as extract fat does not of conform the stranded of Milk Fat/ Ghee as prescribed in Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, Act-2011.की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

श्री जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर



फलस्वरूप अभियुक्त काहनचंद पुत्र श्री गुरदास चंद को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त काहनचंद पुत्र श्री गुरदास चंद को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रुपये 5,000-00 (अखरे रुपये पांच हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में काहनचंद पुत्र श्री गुरदास चंद खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डा. हरीतिमा)
अतिरिक्त प्राधिकार अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा.)
श्रीगंगानगर